



Neutral Citation No. - 2026:AHC:125325

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

दीवानी पुनरीक्षण दोषपूर्ण संख्या - 66 / 2026

बाबू लाल प्रजापति

.....पुनरीक्षणकर्ता

बनाम

मैसर्स येलो बर्ड होटल्स एंड रिजॉर्ट्स प्रा. लि.

.....प्रतिवादी पक्षकार

पुनरीक्षण के अधिवक्ता : नितिन शर्मा, रजनीश त्रिपाठी

प्रतिवादी के अधिवक्ता :

न्यायालय संख्या - 38

माननीय न्यायमूर्ति श्री क्षितिज शैलेन्द्र

1. याचिककर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री नितिन शर्मा को सुना गया।
2. यह पुनरीक्षण दिनांक 19.02.2026 के आदेश के विरुद्ध निर्देशित है जिसके द्वारा विद्वान अपर जिला न्यायाधीश, न्यायालय संख्या 6, गौतम बुद्ध नगर ने अमीन को कब्जे का परवाना जारी किया है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



3. पुनरीक्षण 4 दिन के विलंब से प्रस्तुत किया गया बताया जाता है।
4. परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत एक प्रार्थना पत्र ई-मोड के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है।
5. शपथपत्र में उल्लिखित कारणों से, प्रार्थना पत्र **स्वीकार किया जाता है।**
6. पुनरीक्षण प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा किया जाता है।
7. पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का निवेदन है कि निष्पादन वाद की समस्त कार्यवाही अवैध है। निवेदन यह है कि पक्षकारों के मध्य विक्रय हेतु करार निष्पादित किया गया था तथा उसके पश्चात याची द्वारा दूसरे पक्षकार के पक्ष में दिनांक 13.07.2014 को विक्रय पत्र भी निष्पादित किया गया, तथापि, क्रेता को कब्जा नहीं सौंपा गया।
8. क्रेता ने एक अंडरस्टैंडिंग ज्ञापन ('एमओयू') निष्पादित किया तथा उसके आधार पर, याचिककर्ता को कोई अवसर प्रदान किए बिना उसके द्वारा एक मध्यस्थ नियुक्त किया गया।
9. मध्यस्थ द्वारा दिनांक 02.09.2015 को अधिनिर्णय पारित किया गया, जिसके विरुद्ध याची ने माध्यस्थ एवं सुलह अधिनियम, 1996 ('1996 का अधिनियम') की धारा 34 के अंतर्गत आपत्तियां प्रस्तुत कीं; जिन्हें दिनांक 09.05.2022 को निरस्त कर दिया गया, जिसके विरुद्ध, अधिनियम की धारा 37 के अंतर्गत अपील प्रस्तुत की गई, जिसे इस न्यायालय द्वारा विलंब के आधार पर निरस्त कर दिया गया।
10. यह भी निवेदन किया गया है कि निष्पादन वाद के लंबित रहने के दौरान, याचिककर्ता द्वारा आपत्तियां प्रस्तुत की गई थीं कि एकपक्षीय पंचाट अवैध था, एमओयू भी एक कपटपूर्ण कृत्य था तथा मध्यस्थ की एकतरफा नियुक्ति विधि के प्रावधानों से परे थी। यह निवेदन किया गया है कि

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



उक्त आपत्तियों पर विचार किए बिना, निष्पादक न्यायालय ने आक्षेपित आदेश पारित किया है और यद्यपि आक्षेपित आदेश के अनुपालन में कब्जा क्रेता को सुपुर्द कर दिया गया है, चूंकि निष्पादन की समस्त कार्यवाही चुनौती के अधीन है, अतः उसे अपास्त किया जाए।

11. मैंने प्रस्तुत निवेदनों पर विचार किया है।

12. निर्विवाद रूप से, पुनरीक्षणकर्ता ने विक्रय पत्र निष्पादित करते समय क्रेता को कब्जा नहीं सौंपा। इसी कारण प्रत्यर्थी को किसी एमओयू के आधार पर माध्यस्थम् खंड का सहारा लेना पड़ा। याची ने माध्यस्थम् कार्यवाही में भाग नहीं लिया तथा वर्ष 2015 में पारित अधिनिर्णय में उसकी अनुपस्थिति कई स्थानों पर अंकित है। अधिनिर्णय का प्रवर्तनीय भाग याचिककर्ता को कुछ अतिरिक्त धनात्मक निर्देशों के साथ संपत्ति को सुरक्षित एवं रहने योग्य दशा में दावेदार अर्थात् डिक्रीदार को सुपुर्द करने का निर्देश देता है।

13. उक्त आदेश के विरुद्ध, याची पहले ही 1966 के अधिनियम की धारा 34 के अंतर्गत उपचार का सहारा ले चुका है, जो निरस्त किया गया, जिसके विरुद्ध, अपील संख्या 54 / 2022 भी इस न्यायालय की खंडपीठ द्वारा दिनांक 08.08.2022 को निरस्त की जा चुकी है।

14. निर्विवाद रूप से, उक्त आदेश को आगे चुनौती नहीं दी गई है और, इसलिए, पंचाट को यथावत निष्पादित करने में कोई तथ्यात्मक अथवा वैधानिक बाधा नहीं थी।

15. जहां तक यह निवेदन किया गया है कि मध्यस्थ की एकतरफा नियुक्ति अवैध थी अथवा मध्यस्थ किसी भी प्रकार से अक्षम था, धारा 34(2)(ए)(i) एवं (iii) के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि ये वे आधार हैं जिन पर धारा 34 के अंतर्गत अधिनिर्णय पर आपत्ति की जा सकती है।



16. एक बार जब उक्त आपतियां वर्ष 2022 में निरस्त हो चुकी हैं और उक्त आदेश की इस न्यायालय द्वारा अपील में पुष्टि की जा चुकी है, न्यायालय की राय में, वही तर्क निष्पादन कार्यवाही में उठाए जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

17. यह सुस्थापित विधि है कि निष्पादक न्यायालय डिक्री के पीछे नहीं जा सकता तथा अधिनियम की वैधानिक संरचना ऐसी है कि सीमित आधारों पर ही अधिनिर्णय को चुनौती दी जा सकती है। एक बार जब समस्त वैधानिक उपचार समाप्त हो चुके हों और, इसके अतिरिक्त, संपत्ति का कब्जा पहले ही डिक्रीदार को सुपुर्द किया जा चुका हो, भले ही कुछ तथ्यात्मक पहलू विद्यमान हों, वे इस न्यायालय की पुनरीक्षण शक्ति का प्रयोग करने हेतु पर्याप्त नहीं हैं, जो इस न्यायालय तक वैधानिक अधिनिर्णय की पुष्टि के विपरीत होगा।

18. भले ही, कब्जा सुपुर्द किए जाने के पश्चात, हर्जाने का भाग अभी तक संतुष्ट नहीं किया गया हो, चूंकि यह उस अधिनिर्णय के निष्पादन का भाग है जो चार वर्ष पूर्व इस न्यायालय तक अंतिमता प्राप्त कर चुका है, उन्हीं तर्कों पर दूसरी पारी नहीं हो सकती जो 1996 के अधिनियम की वैधानिक संरचना से परे जाएगी।

19. उपरोक्त समस्त कारणों से, यह न्यायालय पुनरीक्षणकर्ता को कोई राहत प्रदान करने हेतु इच्छुक नहीं है।

20. पुनरीक्षण में कोई गुण-दोष नहीं है; अतः, इसे निरस्त किया जाता है।

4 जून, 2026

ज्योत्सना

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेन्द्र)

Translated version. Not for legal use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।